

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री छगनलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती कमलाबाई

पत्रावली संख्या : 77 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 276

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पेश किया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजा ओरडी ए पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 289 पर दर्ज आराजी नम्बर 1029 रकबा 1.9506 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा होकर पृथक-पृथक दर्ज नहीं हो जाये तब तक कोई भी सहखातेदार किसी विशेष भू भाग पर निर्माण नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद में अंतिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा ओरडी ए पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 289 पर दर्ज आराजी नम्बर 1029 रकबा 1.9506 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

